



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खंडपीठ (जबलपुर) गवालियर
लिंग |२७५५/८/१५

रा.अ.कं.

संस्थित दिनांक—28.07.2015

रवि कुमार पिता श्री घनश्याम प्रसाद
उम्र 25 वर्ष लगभग
निवासी ग्राम पौँडी थाना महाराजपुर
तह. व जिला मंडला म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

शेख रफीक पिता बाबू सलाम जाति मुसलमान
उम्र 39 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मंडला

थाना तह. व जिला मंडला म.प्र. उत्तरवादी
पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है—

पुनरीक्षणाधीन आदेश—

तहसीलदार महोदय मंडला की न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन हेतु
आवेदन पत्र जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 19 (अ-12) 2013-14 आवेदक
शेख रफीक में पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के विरुद्ध।

परिसीमा—

न्यायालय तहसीलदार महोदय मंडला द्वारा पारित आदेश दिनांक
20.02.2014 को सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया,
उक्त आदेश की जानकारी होने पर अविलंब उसी दिनांक 13.07.2015 को
आदेश एवं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने
पर दिनांक 21.07.2015 को दस्तावेज एवं आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने
से विहित समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य—

यह कि, तहसीलदार महोदय मंडला को उत्तरवादी/आवेदक
शेख रफीक के द्वारा दिनांक 06.01.2014 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत
किया गया है, उक्त आवेदन की अंतर्वस्तु यह है कि, उत्तरवादी शेख रफीक

R.F

~~2020-21~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2759-I/15 जिला मुम्बई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	मुख्यमंत्री विधायिका की सभा में प्रयोग के उपयोग के बारे में विवाद जल्दी जारी परिणाम दें।	23-9-15
23-9-15	मुख्यमंत्री विधायिका की सभा में प्रयोग के उपयोग के बारे में विवाद जल्दी जारी परिणाम दें।	23-9-15 Nikas Date: 23.9.15
23-9-15	मुख्यमंत्री विधायिका की सभा में प्रयोग के उपयोग के बारे में विवाद जल्दी जारी परिणाम दें।	23-9-15